न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील निर्वाचन सं0 03/2021

गोपाल पहाडिया पुत्र परभातीराम पहाडिया निवासी खटीक पाडा पथैना तहसील वैर जिला भरतपुर (राज0)

.... अपीलान्ट

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, विधान सभा क्षेत्र वैर (75) (एस.डी.एम.वैर) जिला भरतपुर ।

......रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 11.09.2020 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) विधान सभा निर्वाचक क्षेत्र वैर ।

निर्णय दिनांकः– 17. 03.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), वैर जिला भरतपुर दिनांक 11.09.2020 के पेश की है । अपीलाधीन आदेश में उपखण्ड अधिकारी वैर ने अपीलान्ट गोपाल पहाड़िया पुत्र परभातीराम पहाड़िया निवासी खटीक पाड़ा पथैना, तहसील वैर के प्रारूप –6 बाबत निर्वाचन नामावली में नाम सम्मलित किये जाने के आवेदन को निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तहत पत्रावली तलव की गई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी वैर से प्राप्त तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई।

अपीलान्ट स्वयं उपस्थित हुए । बहस सुनी गई । अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट ग्राम पथैना का मूल निवासी है । प्रार्थी का पुश्तैनी मकान भी ग्राम पथैना में स्थित है । प्रार्थी का जाति प्रमाण पत्र, राशनकार्ड आदि दस्तावेज ग्राम पथैना के ही बने हुए हैं और प्रार्थी ग्राम पथैना में ही निवास कर रहा है । प्रार्थी का पूर्व में नगर निगम भरतपुर के भाग संख्या 119 की कम संख्या 868 पर नाम दर्ज था किन्तु वहा से अपना नाम कटवाकर ग्राम पथैना की मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु प्रारूप सं0 6 प्रस्तुत किया जिस पर सम्बन्धित बी0एल0ओ0 द्वारा नाम जोड़ने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। किन्तु ई0आर0ओ0 द्वारा बी0एल0ओ0 की जांच रिपोर्ट को नजरंदाज करते हुए तहसीलदार भुसावर

.......2

जिला कलक्टर

पुनः जांच कराई जाने पर तहसीलदार भुसावर द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि प्रार्थी गोपाल पहाड़िया की ग्राम पथैना के मकान संख्या 226 पर पहुंच कर जांच की गई। जांच में पाया गया कि प्रार्थी लगभग 45 वर्ष पूर्व ग्राम पथैना से दिल्ली चले गए थे तथा वर्तमान में भरतपुर रहते हैं एवं मकान संख्या 226 में वर्तमान में रमेश, नवलकिशोर जाति खटीक निवास करते हैं। प्रार्थी ग्राम पथैना में निवास नहीं करता है । अतः नाम जोड़ा जाना उचित नहीं है। तहसीलदार द्वारा असत्य रिपोर्ट पेश की गई है जबकि रमेश व नवलकिशोर प्रार्थी के ही परिवारीजन चचेरे भाई हैं। उन्होंने तहसीलदार को यह नहीं बताया कि प्रार्थी वहां पर नहीं रहता है जबकि प्रार्थी भी वहीं निवास करता है। अपीलान्ट ने अपने परिवारीजनों से एक भवन का हिस्सा वर्ष 2010 में क्रय भी कर लिया है,जो प्रार्थी का निवास स्थान है। तहसीलदार भुसावर प्रार्थी के निवास की जांच हेतु मौके पर कभी गए ही नहीं । तहसीलदार द्वारा असत्य रिपोर्ट बनाकर पेश की गई है । तहसीलदार की उक्त असत्य रिपोर्ट के आधार पर ई0आर0ओ0 वैर के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है,जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने अपना नाम वैर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पथैना की मतदाता सूची में अंकित कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

इस सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी वैर से प्राप्त तहत पत्रावली का अवलोकन किया। तहत पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी द्वारा निर्वाचक नामावली नाम को सम्मिलित करने के लिए प्रस्तुत प्ररूप–6 पर बी0एल0ओ0 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की गई है कि **मूल आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों ,विक्रीनामा स्टाम्प के आधार पर प्रार्थी पथैना का निवासी है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अभिशंषा की जाती है** । इसके पश्चात बी0एल0ओ0 द्वारा की गई उक्त रिपोर्ट के बाद ई0आर0ओ0 वैर द्वारा दिनांक 11.09.2020 को निर्णय पारित किया गया है कि **तहसीलदार भुसावर के पत्रांक चुनाव/2020/ 07 दिनांक 26. 08.2020 द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार गोपाल पहाड़िया ग्राम पथैना के सामान्यतः निवासी नहीं होने के कारण दावा अस्वीकार किया जाता है।** ई0आर0ओ0 द्वारा प्रार्थी का प्रपत्रसं0 6 मात्र तहसीलदार भुसावर की रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया गया है जबकि तहत पत्रावली में संलग्न तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट के साथ प्रार्थी के ग्राम पथैना में निवास नहीं करने बावत किसी भी प्रकार की कोई ठोस साक्ष्य अथवा स्वतंत्र गवाहों के बयान

.........3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

आदि उपलब्ध नहीं हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी वैर द्वारा भी अपने स्तर से कोई जांच नहीं की गई है। इसके विपरीत पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी का शपथ पत्र जिसमें प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि " मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरा नाम पूर्व में मतदाता सूची से पृथक कर दिया गया था क्योंकि मैं नगर निगम भरतपुर में निवास करने लगा था। अब मैं पुनः गांव पथैना में निवास करने लगा हूँ । इसलिए मैं मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहता हूँ "। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में नगर निगम भरतपुर के भाग संख्या 119 की कम संख्या 868 की प्रति भी पेश की है जिसमें कम संख्या 868 पर दर्ज प्रार्थी के नाम को ई0आर0ओ0 भरतपुर द्वारा डिलीट किया जा चुका है। प्रार्थी ने स्वयं का जाति प्रमाण पत्र, राशनकार्ड,वयनामा आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, जो ग्राम पथैना के ही हैं। बी0एल0ओ0 द्वारा भी प्रार्थी के दस्तावेजों की जांच कर प्रार्थी को ग्राम पथैना का निवासी होना मानते हुए नाम जोड़ने की सिफारिस की गई है । इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी वर्तमान में ग्राम पथैना में ही निवास करता है । वर्तमान परिवेश में किसी भी व्यक्ति का कई स्थानों पर भूमि/भवन/प्लॉट होना स्वाभाविक है, परन्तु उसके भौतिक निवास को देखना है। निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, हटाने की प्रकिया को इतना उदार इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी भारतीय नागरिक मत देने एवं चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित न रहे । अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य रहती है।

<u>अतः आदेश है कि :–</u>

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अपीलान्ट का नाम विधान सभा क्षेत्र वैर के ग्राम पथैना की मतदाता सूची में जोड़ने के आदेश दिए जाते हैं । निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) वैर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09. 2020 निरस्त किया जाता है। तहत न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,भरतपुर